

18.01.18

वकील सामल उपर जैहायलान असाखन
या वकालतन उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध
सकतरफा कार्यवाही की जारी है। वकील सामल
की बहस 15 सुनी गई। बहस पर मनन किया
गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्थायमान
रिपोर्ट खोले गए हैं। अतः पत्रावली में दिनांक -
21.07.16 को जारी अंतरिम अर्थाई निषेधाज्ञा को
बाफेंसला दावा मुष्ट किया जाना व्यापेक्षित है।

अतः जैहायलान को बाफेंसला दावा अर्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वे आरजी
208 रकबा 0.37 हे०, 2685 रकबा 0.44 हे०,
2777 रकबा 0.44 हे० वाले ग्राम श्यारोली में
स्थायमान के कब्जे काश्त व उपयोग उद्योग में
किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली फेंसल शुमार होकर नंबर से कम
हो रूबे बाद तकमील असलगर मूल नगद रहे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगपुर सिटी